

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—स/शीत लहर, लू (60)/वो—2/2023—25

दिनांक : As in E-Sign

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :- अतिवृष्टि/आपदा की स्थिति में विद्यालय भवन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था और इनकी निर्बाध शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पूर्व निर्देश—पत्र दिनांक : 02.08.2019, 26.06.2023 एवं 15.08.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित निर्देश—पत्रों द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों, विद्यालयी स्टाफ एवं विद्यालयी भवन की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही छात्र—छात्राओं की निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में वांछित दिशा—निर्देश समस्त विभागीय अधीनस्थों हेतु जारी किये गये हैं।

अतः सन्दर्भित निर्देश—पत्रों की निरन्तरता में लेख है कि मानसून के अत्यधिक सक्रिय होने की स्थिति में (अतिवृष्टि/आपदा की स्थिति में) विद्यार्थियों, विद्यालयी स्टाफ एवं विद्यालयी भवन की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों की निर्बाध शिक्षण व्यवस्था बाबत जारी उक्त निर्देश पत्रों की अक्षरशः पालना के सम्बन्ध में आप अपने क्षेत्राधिकार में वांछित दिशा—निर्देश प्रदान कर, प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न : यथोक्त।

(जितेन्द्र सिंह)

सहायक निदेशक

(गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
3. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई—मेल)
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत। (जरिये ई—मेल)
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा। (जरिये ई—मेल)।
6. सहायक निदेशक, पीएसपी अनुभाग, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार वांछित दिशा—निर्देश राज्य की समस्त निजी विद्यालयों हेतु जारी किये जाने के सम्बन्ध में। (जरिये ई—मेल)
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु (जरिये ई—मेल)।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई—मेल)।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई—मेल)।
10. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक

(गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

